न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांकः 01.9.2023

प्रार्थना–पत्र संख्या :–237 / 2023

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

GCMS NO:- 2023/371

1. प्रहलाद आ0 श्री पन्ना जाति बैरवाँ नि. पाई।
2. सोराज आ0 श्री पन्ना जाति बैरवाँ नि. पाई।

प्रार्थीगण

बनाम

भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब, तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकीं।

निर्णय दिनांक 30.04.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम पाई पटवार मण्डल फुलेता मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 785 / 50 रकबा 1.7798 हैक्टयर स्थित है। जो राजस्व रिकॉर्ड मे प्रहलाद पुत्र पन्ना हि0 3 / 7 जाति बैरवाँ सा. देह खातेदार, मसरी पुत्री पन्ना हि0 1 / 7 जाति बैरवाँ सा0 देह खातेदार, सौराज पुत्र पन्ना हि0 3 / 7 जाति बैरवाँ सा0 देह खातेदार दर्ज है।

यह कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे बताया कि उक्त भूमि की मेडों को तोडकर अवैद्य व अनाधिकृत रूप से आस पास के व्यक्तियों ने जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर रखा है जिससे प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि से वंचित होना पड रहा है। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी अधिकार की भूमि का हल्का पटवारी फुलेता से सीमाज्ञान करवाकर सीमा चिन्हित करवा ली है फिर भी भूमि के पडोसी प्रार्थीगण के खाते की भूमि की मेड तोडकर जबरन कब्जा कर रखा है तथा कहते है कि हम उक्त नाप से संतुष्ठ नही है इसलिए प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रेस शपथ पत्र की प्रति आदि पेश कर अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट के तहत् पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

प्राथीगण अधिवक्ता द्वारा प्राप्त फर्द दस्तावेज जिसमे उनके द्वारा फोटोप्रति मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 30.6.2023 की प्रति पेश की गयी थी जिसका अवलोकन किया गया एवं साथ ही पत्रावली का भी अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे निहित खसरा नम्बर 785 / 50 रकबा 1.7798 हैक्टयर भूमि जिसका सीमाज्ञान पूर्व मे दिनांक 30.6.2023 को नायब तहसीलदार देई के आदेश कमांक / LR / 23 / 11 दिनांक 20. 06.2023 की पालना मे पटवारी हल्का फुलेता द्वारा किया गया था जिसमे यह अंकित है कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त नही है। अतः प्रार्थना पत्र मे अंकित खसरा नम्बर 785 / 50 पर प्रार्थीगण का कब्जा नही होने से पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवाँ